प्रारंभिक परीक्षा

शॉक सिरिंज(Shock Syringe)

संदर्भ

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने एक **सुई रहित "शॉक सिरिंज"** विकसित की है।

शॉक सिरिंज क्या है?

- **यह एक ऐसा उपकरण है जो त्वचा को नुकीली सुई से छेदे बिना दवा पहुँचाने के लिए उच्च-ऊर्जा शॉक तरंगों (ध्वनि की गति से भी तेज़ दाब तरंगें) का उपयोग करता है। यह तरल दवाओं का एक माइक्रोजेट बनाता है।**
- टेकऑफ़ के दौरान माइक्रोजेट एक वाणिज्यिक हवाई जहाज की गति से लगभग दोगुनी गति से यात्रा करता है, तेजी से और धीरे से त्वचा में प्रवेश करता है।
- **लाभ**:
    - दर्द रहित दवा वितरण (**pain-free drug delivery**) प्रदान करता है।
    - सुई-छड़ी की चोटों के कारण होने वाले **रक्त-जनित रोगों** के जोखिम को समाप्त करता है।
    - बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए **टीकाकरण अभियान** में दक्षता बढ़ाता है।
    - **विश्वसनीयता और लागत-प्रभावशीलता** प्रदान करता है, **प्रति सिरिंज 1,000 से अधिक शॉट** की क्षमता के साथ, केवल नोजल प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है।

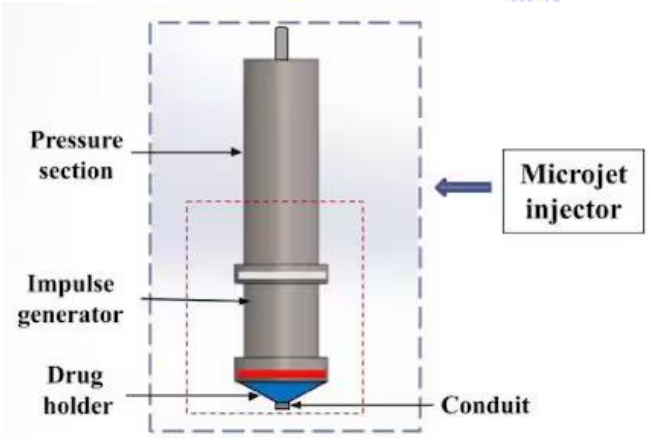

स्रोत:

- [The Hindu - IIT-Bombay team makes needle-free 'shock syringe' for painless injections]

सियांग अपर जलविद्युत परियोजना

संदर्भ

अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध प्रतिरोध से निपटने के लिए CAPF की 9 कंपनियों से प्रदर्शन की मांग की है।

सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (SUMP) के बारे में -

- यह **अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर प्रस्तावित** 11,000 **मेगावाट की जलविद्युत परियोजना है।**
- इस परियोजना का निर्माण **राष्ट्रीय जलविद्युत निगम** (**NHPC**) और **उत्तर पूर्वी विद्युत निगम** (**NEEPCO**) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
- **SUMP** को तिब्बत के मेडोग काउंटी में **यारलुंग त्सांगपो पर चीन के** 60,000 **मेगावाट के बांध के जवाब में स्थापित किया गया है।**
- **चिंताएं**:
    - जलाशय के निर्माण के कारण जो क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा**,** वह आदि जनजाति का निवास स्थान है। यह एक स्वदेशी समुदाय है जिसका सियांग नदी से गहरा संबंध है।
    - पहाड़ी इलाकों में खेती के सीमित अवसर होने के कारण यहां के निवासी जीविका के लिए **पानी की खेती (नदी के किनारे स्थायी कृषि)** पर निर्भर हैं।
- **सियांग नदी**:
    - **उद्गम:** तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास। तिब्बत में इसे **यारलुंग त्सांगपो** कहा जाता है।
    - यह नदी सियांग के रूप में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले **1,000** किमी. पूर्व की ओर बहती है और अंततः **असम में ब्रह्मपुत्र** में मिल जाती है।

तथ्य

- **वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2023** भारत की सीमाओं के **100 किलोमीटर के भीतर रणनीतिक परियोजनाओं** को वन मंजूरी की आवश्यकता से छूट देता है।

स्रोत:

- [Indian Express - Not without resistance]

दिल्ली हाईकोर्ट ने पेटेंट प्रमुख की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की

संदर्भ

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्नत पंडित की पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है।

पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक (CGPDTM) के बारे में -

- **CGPDTM** भारतीय पेटेंट कार्यालय का प्रमुख है**,** जो भारत में वस्तुओं के पेटेंट**,** डिज़ाइन**,** ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतों से संबंधित कानूनों का प्रशासन करता है। इसे भारतीय पेटेंट कार्यालय के नाम से भी जाना जाता है।
- यह विभिन्न अधिनियमों का प्रशासन करता है: **पेटेंट अधिनियम**, 1970, **ट्रेडमार्क अधिनियम**, 1999, **डिज़ाइन अधिनियम**, 2000, **कॉपीराइट अधिनियम**, 1957 **आदि**
- **नोडल मंत्रालय:** उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
- **पेटेंट**:
    - यह सरकार द्वारा आवेदक को उसके द्वारा औद्योगिक उत्पाद या प्रक्रिया के प्रकट किए गए आविष्कार के लिए प्रदान किया गया एक विशेष अधिकार है**,** जो राष्ट्रीय कानून द्वारा परिभाषित **नवीन**, **गैर-स्पष्ट**, **उपयोगी और पेटेंट योग्य होना चाहिए।**
    - भारत में पेटेंट **20** साल के लिए वैध होता है। **20** साल की अवधि पेटेंट (संशोधन) अधिनियम **2002** द्वारा शुरू की गई थी। इससे पहले**,** यह अवधि **14** साल थी।

स्रोत:

- **Indian Express - Delhi HC dismisses PIL Challenging patent chief's appointment**

पीएम केयर्स/PM CARES फंड

संदर्भ

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पीएम केयर्स फंड को दान के रूप में 912 करोड़ रुपये का योगदान प्राप्त हुआ।

PM CARES फंड के बारे में -

- **PM CARES का मतलब है प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत कोष। इसे कोविड-19 महामारी के दौरान बनाया गया था।**
- इसे **सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट** के रूप में पंजीकृत किया गया है।
- **उद्देश्य**: महामारी से उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटना और प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करना।
- **योगदान**: यह निधि पूर्णतः व्यक्तियों या संगठनों के स्वैच्छिक योगदान से बनी है और इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है।
    - पीएम केयर्स फंड में दान करने पर **आयकर अधिनियम के तहत** 80**जी के तहत** 100% **छूट का लाभ मिलता है।**
    - किसी भी कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा कोष में किया गया योगदान कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व** (**CSR**) व्यय के लिए योग्य है।
- **ऑडिट**: पीएम केयर्स फंड का ऑडिट **एक स्वतंत्र ऑडिटर** द्वारा किया जाता है। (**CAG** द्वारा नहीं)
- **ट्रस्टी और सलाहकार**:
    - **पदेन अध्यक्ष**: भारत के प्रधानमंत्री।
    - **पदेन ट्रस्टी (3):** केंद्रीय रक्षा, गृह और वित्त मंत्री।
    - **मनोनीत ट्रस्टी**: न्यायमूर्ति के.टी. थॉमस (सेवानिवृत्त) और करिया मुंडा।
    - **सलाहकार बोर्ड**: राजीव महर्षि, सुधा मूर्ति और आनंद शाह।

स्रोत:

- Indian Express - PM CARES Fund

स्मार्ट सिटी मिशन की सफलता

संदर्भ

भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु के एक हालिया अध्ययन के अनुसार, स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के तहत स्मार्ट कक्षाओं की शुरूआत से 2015-16 और 2023-24 के बीच 19 शहरों द्वारा दर्ज किये गए आंकड़ों के अनुसार समग्र नामांकन में 22% की वृद्धि हुई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु -

- 71 शहरों ने 2,398 सरकारी स्कूलों में 9,433 स्मार्ट क्लासरूम विकसित किए हैं।
- **स्मार्ट क्लासरूम परियोजनाओं की सबसे अधिक संख्या** कर्नाटक (80), राजस्थान (53) में है। तमिलनाडु में 23 और दिल्ली में 12 हैं।
    - **पश्चिम बंगाल (2)** तालिका में सबसे नीचे है।
- 41 शहरों में कुल 7,809 सीटों वाली डिजिटल लाइब्रेरी विकसित की गई है।

स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) के बारे में -

- इसे **2015** में **आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय** द्वारा लॉन्च किया गया था।
- इसका उद्देश्य कुशल सेवाएं, मजबूत बुनियादी ढांचे और टिकाऊ पर्यावरण प्रदान करके 100 चयनित शहरों में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है।
- **प्रमुख क्षेत्र**: ई-गवर्नेंस, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, शहरी गतिशीलता और कौशल विकास।
- **प्रगति**: **नवंबर 2024 तक, 91% एससीएम परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।**
- **SAAR पहल:**
    - 2022 में एससीएम के तहत 'SAAR' (स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च) नाम से एक मंच शुरू किया गया, ताकि नई शहरी पहलों का दस्तावेजीकरण और शोध करने के लिए शिक्षाविदों और सरकार के बीच के अंतराल को पाटा जा सके।
    - एसएएआर पहल में **समीक्षा सीरिज़** शामिल है, जो भारतीय स्मार्ट शहरों पर 50 प्रभाव आकलन अध्ययनों का एक सेट है।

स्रोत:

- [The Hindu - '22% rise in enrolment after smart classroom initiative']

समाचारों में रहे स्थान

बाल्टिक सागर

- **उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन** (**NATO**) ने घोषणा की है कि वह हाल ही में समुद्र के नीचे बिजली केबल और चार इंटरनेट लाइनों में संदिग्ध तोड़फोड़ के बाद बाल्टिक सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाएगा।

- **अवस्थिति**: यह **उत्तरी यूरोप में अटलांटिक महासागर** का एक विस्तारित भुजा (भाग) है।
- **सीमावर्ती देश:** डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रूस और स्वीडन।
- यह **डेनिश जलडमरूमध्य** के माध्यम से अटलांटिक महासागर को जोड़ता है।

तथ्य

- **बाल्टिक देश:** लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया।
- **नॉर्डिक देश**: डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड।
- **स्कैंडिनेवियाई देश**: डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन।

स्रोत:

- Indian express - NATO to boost Baltic sea presence

समाचार संक्षेप में

सूर्य किरण अभ्यास

- यह **भारत और नेपाल के बीच** संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों तथा HADR में अंतर-संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए एक **द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास** है।
- यह सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण है।
- भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व 11वीं गोरखा राइफल्स की एक बटालियन कर रही है।
- **SLINEX**: भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास।

स्रोत:

- **PIB - INDIA- NEPAL JOINT MILITARY EXERCISE SURYA KIRAN**

कोयला मंत्रालय ने मीनाक्षी कोयला खदान के लिए वेस्टिंग आर्डर जारी किया

- केंद्र सरकार ने **ओडिशा में मीनाक्षी कोयला खदान** हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आवंटित की है।
- खदान की अधिकतम क्षमता 12 मिलियन टन प्रति वर्ष है। इससे 1,152.84 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है।
- **भारत की प्रमुख कोयला खदानें**: झरिया (झारखंड), रानीगंज (पश्चिम बंगाल), कोरबा (छत्तीसगढ़), सिंगरौली (मध्य प्रदेश)

स्रोत:

- **PIB - Meenakshi Col Mine**

राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL)

- हाल ही में डॉ. संदीप शाह को NABL-QCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- NABL भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक घटक बोर्ड है। यह भारत में अनुरूपता मूल्यांकन निकायों (प्रयोगशालाओं) को मान्यता प्रदान करता है।

भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) के बारे में -

- भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना **1997 में** भारत सरकार और भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से एक **स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।**
- **नोडल मंत्रालय**: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
- **QCI की भूमिका** राष्ट्रीय प्रत्यायन संरचना की स्थापना और संचालन करना और राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा देना है।
- **QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति** उद्योग द्वारा सरकार को की गई सिफारिश के आधार पर **प्रधानमंत्री** द्वारा की जाती है।

स्रोत:

- **PIB - Dr. Sandip Shah Appointed as the Chairperson of NABL-QCI**

संपादकीय सारांश

न्यू डिटेंशन पॉलिसी(New Detention Policy)

संदर्भ

शिक्षा मंत्रालय ने निरोध प्रावधानों को शामिल करने के लिए, हाल ही में बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम, 2010 में संशोधन किया है।

न्यू डिटेंशन पॉलिसी के संदर्भ में -

- **प्रावधान:** केन्द्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों सहित लगभग 3,000 केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थी यदि नियमित परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो अतिरिक्त निर्देश के बाद 2 महीने बाद विद्यार्थी की पुनः परीक्षा ली जाएगी।
    - यदि वे पुन: परीक्षा में असफल होते हैं, तो उन्हें रोका जा सकता है।
- **परीक्षा प्रारूप:** परीक्षा और पुनः परीक्षा, योग्यता-आधारित होनी चाहिए।
- **मुख्य सुरक्षा उपाय:** प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं निकाला जा सकता।

विधायी और नीतिगत पृष्ठभूमि -

- **शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009:** धारा **16** के अंतर्गत कक्षा **8** तक के छात्रों के निरोध पर रोक लगाई गई।
- **2019 में संशोधन:**
    - राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों को पुन: परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर रोकने का निर्णय लेने की अनुमति दी गई।
    - तब से, **18** राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने नो-डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया है।

न्यू डिटेंशन पॉलिसी के पक्ष में तर्क

- **सीखने के स्तर में गिरावट:** स्वतः पदोन्नति से छात्रों और शिक्षकों के प्रयासों में कमी आती है, जिसके परिणामस्वरूप शैक्षिक परिणाम खराब होते हैं।
    - उदाहरण के लिए, **14-18** वर्ष के केवल **43.3%** बच्चे ही डिवीज़न की समस्याओं को सही ढंग से हल करने में सक्षम हैं (**ASER** रिपोर्ट **2022**)।
- **बाद की कक्षाओं में अधिक असफलताएँ:** स्वतः पदोन्नति के कारण आधारभूत अंतराल, कक्षा **10** और **12** में उच्च असफलता दरों में योगदान करता है, जिसमें **2023** में **65** लाख छात्र असफल होंगे।
- **बढ़ी हुई जवाबदेही:** यह छात्रों और शिक्षकों दोनों को अकादमिक प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे उत्तरदायित्व और प्रतिबद्धता में वृद्धि होती है।
- **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ:** कई देश संरचित मूल्यांकन और सुधारात्मक उपायों का उपयोग करते हैं, तथा स्वतः पदोन्नति की तुलना में जवाबदेही पर बल देते हैं।
    - **जैसे**,
        - **अमेरिकी "ग्रेड रिटेंशन" प्रणाली:** यह एक ऐसी प्रथा है, जिसका उपयोग प्रायः तब किया जाता है, जब छात्र पढ़ने और गणित जैसे मुख्य विषयों में काफी पीछे रह जाते हैं, विशेषकर जब मानकीकृत परीक्षणों पर उनका प्रदर्शन राज्य-अनिवार्य मानकों से नीचे हो जाता है।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश:** भारत के जनसांख्यिकीय लाभ से लाभान्वित होनें के लिए एक शिक्षित, सक्षम और कुशल जनसमूह आवश्यक है, जिससे शिक्षा में सुधार महत्वपूर्ण हो गया है।

न्यू डिटेंशन पॉलिसी के विरुद्ध तर्क

- **स्कूल छोड़ने का जोखिम:** छात्रों को रोके रखने से उनका मनोबल गिर सकता है, विशेष रूप से हाशिए पर स्थित पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों का, जिससे स्कूल छोड़ने की दर में वृद्धि हो सकती है।
- **सिस्टम को नहीं, बल्कि छात्रों को दोषी ठहराता है:** यह अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण, खराब अवसंरचना और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों जैसे प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहता है।
- **छात्रों पर तनाव:** असफलता और रोके जाने का डर चिंता और तनाव को जन्म दे सकता है, जो मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
- **वंचित समूहों पर असंगत प्रभाव:** वंचित पृष्ठभूमि के छात्र, जो पहले से ही प्रणालीगत असमानताओं से जूझ रहे हैं, इस नीति का खामियाजा भुगत सकते हैं।
- **स्कूलों द्वारा संभावित दुरुपयोग:** उचित निगरानी के बिना, स्कूल प्रशासनिक कमियों या खराब प्रदर्शन को सही ठहराने के लिए नीति का दुरुपयोग कर सकते हैं।
- **NEP 2020 के साथ विरोधाभास:** नई शिक्षा नीति (**NEP**) रचनात्मक आकलन, स्वयं और साथियों के मूल्यांकन तथा एक समग्र, **360**-डिग्री प्रगति रिपोर्ट की वकालत करती है। न्यू डिटेंशन पॉलिसी इन दूरदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।

स्रोत:

- **The Hindu: Letter and spirit**
- **Indian Express: Explained: New Detention Policy**

जाति के कारण सीमांत, शिक्षा में सीमांत

संदर्भ

- अनुसूचित जाति के छात्र अतुल कुमार ने प्रणालीगत बाधाओं को उजागर करते हुए, ₹17,500 सीट बुकिंग शुल्क का भुगतान करने में असमर्थता के कारण अपनी IIT धनबाद की सीट खो दी।
- ऐसे कई मामले अनदेखे रह जाते हैं, जिससे योग्य छात्र वित्तीय चुनौतियों के कारण अवसरों से वंचित रह जाते हैं।

सीमांत समुदाय के छात्रों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

वित्तीय बाधाएँ

- **उच्च शिक्षण शुल्क: IIT** और **IIM** जैसे प्रमुख संस्थानों में फीस में अत्यधिक वृद्धि, कई सीमांत छात्रों के लिए शिक्षा को अवहनीय बनाती है।
  - उदाहरण के लिए- **IIT** स्नातक की फीस **₹90,000** से बढ़कर **₹3** लाख प्रति वर्ष हो गई है, जबकि **IIM** ने फीस में **5% -30%** की वृद्धि की है।
- **अपर्याप्त वित्तीय सहायता:** यद्यपि, विद्यालक्ष्मी योजना जैसी पहल ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराती हैं, किन्तु वे प्रायः जीवन-यापन व्यय सहित कुल लागतों को कवर करने में कम पड़ जाती हैं, जिससे वित्तीय भार बढ़ जाता है।
- **ऋण की अनुपलब्धता:** सीमांत पृष्ठभूमि के कई छात्रों के पास वित्तीय गारंटी या संपार्श्विक की कमी होती है, जिससे उनके लिए शैक्षिक ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।

प्रणालीगत बाधाएँ

- **ड्रॉपआउट दरें:** वित्तीय कठिनाइयों के कारण सीमांत छात्रों के बीच ड्रॉपआउट दर महत्वपूर्ण हो जाती है:
  - उदाहरण के लिए, पिछले पांच वर्षों में **13,500** से अधिक **SC, ST** और **OBC** छात्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों, **IIT** और **IIM** से पढ़ाई छोड़ दी।
    - केंद्रीय विश्वविद्यालयों में **2,424 SC** और **2,622 ST** छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी, जो इस बात को रेखांकित करता है कि किस प्रकार प्रणालीगत लागत और दबाव, इन समूहों को असंगत रूप से प्रभावित करते हैं।
- **संकाय प्रतिनिधित्व का अभाव:** जाति-आधारित असमानताएं संकाय भूमिकाओं तक विस्तारित हैं तथा **IIT** में **SC, ST** और **OBC** श्रेणियों से केवल **5%** प्रतिनिधित्व है।
  - संबंधित रोल मॉडल और सलाहकारों की कमी, इन छात्रों के शैक्षणिक अनुभवों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

सामाजिक भेदभाव

- **जाति-आधारित पूर्वाग्रह:** सीमांत छात्रों को प्रायः कक्षाओं, छात्रावासों और साथियों के साथ संवाद में प्रत्यक्ष तथा गुप्त जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
  - उनका मूल्यांकन उनकी भाषा, पहनावे और अन्य संकेतकों के आधार पर किया जाता है, जिससे पृथक्करण की स्थिति उत्पन्न होती है।
- **दोषारोपण:** ऐतिहासिक पूर्वाग्रह दलितों को "अछूत" करार देते हैं, उन्हें निम्नस्तरीय भूमिकाओं में धकेल देते हैं और एक मनोवैज्ञानिक अवरोध उत्पन्न करते हैं, जो शैक्षणिक परिवेश में भी कायम रहता है।
- **सीमित सामाजिक एकीकरण:** सीमांत छात्र प्रायः अधिक विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के साथियों के साथ घुलने-मिलने में संघर्ष करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक पृथक्करण और समर्थन नेटवर्क की कमी होती है।

भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक भार

- **मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे:** वित्तीय दबाव और जाति-आधारित भेदभाव का दोहरा भार अत्यधिक तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बनता है।
    - उदाहरण के लिए, सात वर्षों में **IIT** और **IIM** में **122** छात्रों की आत्महत्या, सीमांत छात्रों पर भावनात्मक भार को प्रकट करती है।
- **प्रदर्शन का दबाव:** कई छात्र अपने परिवार की आर्थिक चुनौतियों को कम करने के लिए उन पर रखी गई अपेक्षाओं से अभिभूत होते हैं, जिससे तनाव और आत्म-संदेह का चक्र बनता है।
- **उत्पीड़न और बदमाशी:** जाति-आधारित टिप्पणियां, बहिष्कार और धमकाने की घटनाएं हीनता और निराशा की भावनाओं को और बढ़ा देती हैं।

रोजगार चुनौतियां

- **बेरोजगारी दर:** स्नातक होने के बाद भी, सीमांत छात्रों को रोज़गार मिलने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
    - उदाहरण के लिए, **2024** में एक **RTE** से पता चला कि- **38% IIT** स्नातकों को रोज़गार नहीं प्राप्त हुआ तथा जातिगत पहचान ने रोज़गार प्राप्ति में चुनौतियों को और बढ़ा दिया।
- **नियुक्ति में जाति-आधारित असमानताएँ:** सीमांत समुदायों को प्रायः भर्ती के दौरान निहित पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है, जिससे प्रतिस्पर्धी रोज़गार बाजारों में उनके अवसर सीमित हो जाते हैं।

ऐतिहासिक और संरचनात्मक कमियाँ

- **अंतर-पीढ़ीगत गरीबी:** कई दलित परिवारों के पास स्थिर आय स्रोतों तक पहुँच नहीं होती है, जिससे उनकी शैक्षिक आकांक्षाएँ सीमित हो जाती हैं।
- **सांस्कृतिक पूंजी का आभाव:** सीमांत समुदायों के छात्रों के पास अपने उच्च जाति के साथियों के समान अनुभव या संसाधन (जैसे- कोचिंग या अध्ययन सामग्री) नहीं हो सकते हैं, जिससे **JEE** और **CAT** जैसी परीक्षाओं में उनकी प्रतिस्पर्धा सीमित हो जाती है।

निष्कर्ष

भारत में सीमांत समुदायों को वित्तीय बाधाओं, जाति-आधारित भेदभाव और प्रणालीगत असमानताओं के कारण उच्च शिक्षा तक पहुँचने और उसे बनाए रखने में बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये मुद्दे सभी छात्रों के लिए एक समान वातावरण प्रदान करने के लिए शिक्षा और रोजगार में सुधारों की तत्काल आवश्यकता को प्रकट करते हैं।

Source: [The Hindu: Marginalised by caste, marginalised in education]

भारत में बंदी हाथी: श्रद्धा और शोषण का विरोधाभास

संदर्भ

बंदी हाथियों को विशेष रूप से धार्मिक, मनोरंजन और पर्यटन गतिविधियों में अत्यधिक क्रूरता तथा शोषण का सामना करना पड़ता है।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी

- केरल उच्च न्यायालय ने नाजी नरसंहार शिविरों की भयावहता का संदर्भ देते हुए, उनकी दुर्दशा की तुलना "शाश्वत ट्रेबलिंका" से की।
- अत्यधिक सामाजिक जानवर होने और ज्ञान तथा शक्ति के पवित्र प्रतीक होने के बावजूद, बंदी हाथियों को प्रायः पृथक्करण और अपमानजनक प्रशिक्षण सहना पड़ता है, जो उनकी आत्मा को तोड़ देता है।

चिंताएं

- **अवैध प्रथाएँ:** जनवरी **2019** तक**,** भारत में **2,675** बंदी हाथियों के संदर्भ में प्रलेखित जानकारी थी।
  - रिपोर्टों से पता चलता है कि, मृत हाथियों के स्थान पर आए हाथियों को प्रायः जंगल से पकड़ लिया जाता है।
- **माइक्रोचिप का दुरुपयोग:** बंदी हाथियों पर नज़र रखने के लिए 2002 में प्रोजेक्ट एलीफेंट के अंतर्गत शुरू किए गए माइक्रोचिप्स को कथित तौर पर मृत जानवरों से निकाला जाता है और उन्हें वैध बनाने के लिए अवैध रूप से पकड़े गए जंगली हाथियों में पुनः डाल दिया जाता है।
  - नियमों में हाथी की मृत्यु के बाद माइक्रोचिप हटाने के लिए अनिवार्यता का अभाव है**,** जिससे इस तरह का दुरुपयोग संभव है।
- **निगरानी में कमी:** स्थानांतरण या परिवहन के दौरान मृत्यु के मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, जिससे जवाबदेही में महत्वपूर्ण कमी रह जाती है।
- **बंदी हाथियों का अंतरराज्यीय व्यापार:** हाथियों को पूर्वोत्तर राज्यों से दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में ले जाया गया है।
  - उदाहरण के लिए- असम के एक निजी मालिक द्वारा दिल्ली के एक मंदिर को "उपहार" दिया गया हाथी।

सरकारी कार्रवाई

बंदी हाथी (स्थानांतरण या परिवहन) नियम, 2024

- मार्च 2024 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा प्रस्तुत किए गए नियमों का उद्देश्य, अवैध जंगली पकड़ को रोकने के लिए बंदी हाथियों के हस्तांतरण तथा परिवहन को विनियमित करना है।
- **प्रमुख प्रावधान और खामियाँ**
  - **स्वामित्व का हस्तांतरण:** यदि वर्तमान स्वामी हाथी को नहीं रख सकता है, तो स्वामित्व को हस्तांतरित किया जा सकता है।
    - गैर-वाणिज्यिक लेनदेन के लिए कोई अनिवार्यता नहीं है, जिससे हाथियों को संपत्ति के रूप में व्यापार करने की अनुमति मिलती है।
  - **परिवहन प्रावधान**: यह नियम स्पष्ट रूप से उद्देश्य को उचित ठहराए बिना अस्थायी परिवहन की अनुमति देते हैं, जिससे धार्मिक समारोहों, शादियों, राजनीतिक रैलियों और पर्यटन के लिए पट्टे पर देना संभव हो सकता है।
    - यह हाथियों को वस्तु के रूप में दर्शाता है और कल्याण को कमजोर करता है, जिससे उनके पकड़ने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन उत्पन्न होता है।

- **संरक्षण पर प्रभाव:** वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए स्थानांतरण के नियमितीकरण से, जंगली पकड़ को प्रोत्साहित करने का जोखिम उत्पन्न होता है, जो सीधे संरक्षण प्रयासों को खतरे में डालता है।
- **कैद में जन्म:** नियम, कैद में जन्म लेनें वाले हाथी के बच्चों को, स्वामित्व वाले बंदी हाथियों के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति देते हैं, जिससे कैद और शोषण का चक्र जारी रहता है।

• अगस्त 2024 में, नागरिक समाज की रिपोर्टों के बाद, MoEFCC के अंतर्गत, हाथी परियोजना ने अवैध स्थानांतरण को चिह्नित किया और नियमों का कड़ाई से पालन करने पर बल देते हुए एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया।

सुधार के लिए सिफारिशें

• बंदी हाथी (स्थानांतरण या परिवहन) नियमों को स्पष्ट भाषा में सुदृढ़ करना, जिससे कल्याण सुनिश्चित हो और व्यावसायिक शोषण पर रोक लगे।
  - वन अधिकारियों की मौजूदगी में मरणोपरांत माइक्रोचिप्स को हटाने और नष्ट करने का आदेश देना।
  - परिवहन के दौरान मरने वाले हाथियों के लिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आवश्यकता होती है।

• नागरिक समाज, मंदिर समितियों और सरकारों को जीवित हाथियों के उपयोग से इलेक्ट्रॉनिक हाथियों जैसे विकल्पों की ओर स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करना।

• ऐसे उपायों को प्राथमिकता देना, जो बंदी हाथियों की मांग को कम करें और जंगल में उनकी सुरक्षा को मजबूत करें।

• बंदी हाथियों की आनुवंशिक प्रोफ़ाइल का अनिवार्य डिजिटलीकरण।

• निजी हिरासत में हाथियों के लिए मानवीय, गैर-आक्रामक जन्म नियंत्रण उपायों को लागू करना।

Source: [The Hindu: Rules that still manacle the captive elephant]

डेटा और तथ्य

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES)

संदर्भ

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) के अनुसार, प्रति व्यक्ति आधार पर भारत का औसत घरेलू उपभोग व्यय अगस्त 2023 से जुलाई 2024 तक पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक रूप से लगभग 3.5% बढ़ गया है।

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण क्या है? (HCES)?

- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (**MoSPI**) के अंतर्गत, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (**NSO**) द्वारा संचालित।
- **आवृत्ति:** पंचवर्षीय (प्रत्येक पाँच वर्ष में आवर्ती)।
- **उद्देश्य: HCES** का प्राथमिक उद्देश्य, घरों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के संदर्भ में जानकारी एकत्र करना है।
    - यह डेटा विभिन्न आर्थिक संकेतकों का अनुमान लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे:
        - मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (**MPCE**)।
        - विभिन्न जनसांख्यिकी में गरीबी का स्तर।
        - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (**CPI**) और सकल घरेलू उत्पाद (**GDP**) गणनाओं में अद्यतन

HCES के मुख्य बिंदु 2023-24

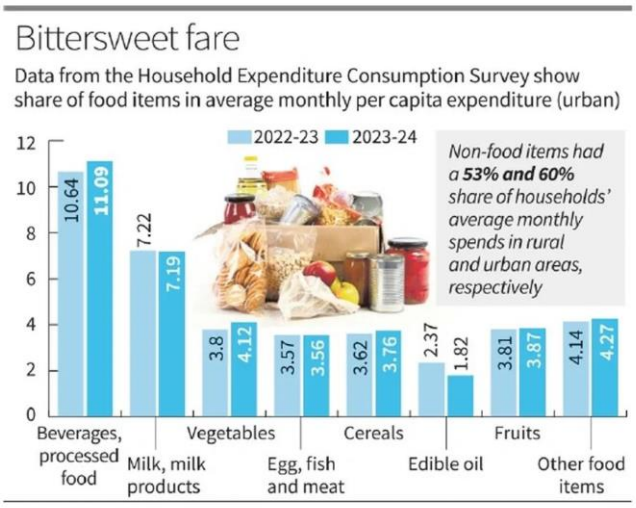

पहलू	विवरण
खाद्य व्यय में वृद्धि	• **ग्रामीण परिवार**: हिस्सेदारी **46.38% (2022-23)** से बढ़कर **47.04% (2023-24)** हो गई। • **शहरी परिवार**: हिस्सेदारी **39.17%** से बढ़कर **39.68% (2023-24)** हो गई।

शहरी-ग्रामीण व्यय अंतर	अंतर 71.2% (2022-23) से कम होकर 69.7% (2023-24) हो गया, जो एक दशक में ग्रामीण उपभोग खर्च में मजबूत वृद्धि दर्शाता है।.
औसत मासिक उपभोग व्यय (MPCE)	• **ग्रामीण**: **₹3,773 (2022-23)** से **9.3%** बढ़कर **₹4,122 (2023-24)**। • **शहरी**: **₹6,459** से बढ़कर **₹6,996** हो गया। • **ऐतिहासिक संदर्भ**: **2011-12** में **MPCE**: **₹1,430** (ग्रामीण) और **₹2,630** (शहरी)। • **आरोपित उपभोग (सामाजिक कल्याण लाभ के साथ): ₹4,247** (ग्रामीण) और **₹7,078** (शहरी) (**2023-24**)।
आय वितरण और व्यय रुझान	• **शीर्ष 5%: 2022-23** की तुलना में **MPCE** में गिरावट (**₹10,137** ग्रामीण**; ₹20,310** शहरी)। • **निचला 5%: MPCE** में वृद्धि (**₹1,677** ग्रामीण**; ₹2,376** शहरी)। • **निचला 20%:** खर्च में उच्चतम वृद्धि (**19.2%** ग्रामीण**; 18%** शहरी)। • **शीर्ष 20%:** सीमांत वृद्धि (**1.5%** ग्रामीण**; 1.1%** शहरी)।
उपभोग असमानता (गिनी गुणांक)	• **ग्रामीण**: **0.266 (2022-23)** से घटकर **0.237 (2023-24)**। • **शहरी**: **0.314** से घटकर **0.284** हो गया**,** जो कम असमानता का संकेत देता है।
व्यय का क्षेत्रीय विवरण	• **खाद्य पदार्थ**: ○ **अनाज**: हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ी (**4.99%** ग्रामीण**; 3.76%** शहरी)। ○ **पेय पदार्थ और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ**: उच्चतम हिस्सेदारी (**9.84%** ग्रामीण**; 11.09%** शहरी)। • **गैर-खाद्य पदार्थ**: ○ **ग्रामीण**: **52.96% (**वाहन**,** चिकित्सा और कपड़ों पर प्रमुख खर्च)। ○ **शहरी**: **60.32% (**किराए**,** मनोरंजन और टिकाऊ वस्तुओं पर प्रमुख खर्च)।
राज्य-वार उपभोग पैटर्न	• **अधिक खर्च करने वाले राज्य**: महाराष्ट्र**,** पंजाब**,** तमिलनाडु**,** तेलंगाना**,** केरल**,** कर्नाटक**,** हरियाणा**,** गुजरात**,** आंध्र प्रदेश। • **कम खर्च करने वाले राज्य:** पश्चिम बंगाल**,** बिहार**,** असम**,** ओडिशा**,** उत्तर प्रदेश**,** मध्य प्रदेश**,** झारखंड**,** छत्तीसगढ़। • **राजस्थान**: ग्रामीण खर्च अधिक लेकिन शहरी खर्च राष्ट्रीय औसत से कम।

स्रोत: **The Hindu: Average household spending rose 3.5%**